न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–187/2019

शेख वकील एवं अन्य..वादीगण

बनाम

मृतक शेख हयात के विधिक वारिसान...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.09.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4(4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी शेख हयात की मृत्यु मुकदमा के दौरान हो जाने के कारण उनकी जगह पर उनके विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार प्रतिस्थापित किया जा चुका है। वादीगण को सूचना मिली है कि प्रतिस्थापित वारिसानो में क्रम सं0–01 पर वर्णित मु0 हसीना खातुन की मृत्य हो गई है मृत प्रतिस्थापित प्रतिवादी मु0 हसीना खातुन के सभी वारिसान अभिलेख पर प्रतिवादी सं0–01(क) से लेकर 01(ज) तक मौजुद है। अतः मृतक हसीना खातुन का नाम विलोपित करना आवश्यक है। अतः वादपत्र से प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 मु0 हसीना खातुन का नाम कलमजद करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 मु0 हसीना खातुन की मृत्यु हो गई है। जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक 20.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	